

राजस्व अपील संख्या 323/2022
अनवान
हरीराम वगैरा बनाम तहसीलदार भोपालगढ वगैरा

दिनांक 27-6-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/34 दिनांक 08-10-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-10-2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/34 दिनांक 08-10-2021 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारों/हितबद्ध लोगों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।



बति • सम्पत्तीय अम्हूरत
नोधपूर